11/5/17 पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान– न्याय आपके द्वार 2017 में अटल सेवा केन्द्र आडेल में पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। विप्रार्थी स.6 की ओर से पेरोकार सरकार नायब तहसीलदार उपस्थित। विप्रार्थीगण को राजस्व लोक अदालत में उपस्थित होने हेतु जारी नोटिस बाद तामील प्राप्त हुए। विप्रार्थी सं.1 से 5 बावजुद नोटिस तामील के हाजिर नही पर एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्राथीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर विस्तृत आदेश पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया गया। जो बाद शामिल मिसल किया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

11/5/17
उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

Scanned by CamScanner

राजस्व लोक अदालत अभियान–
न्याय आपके द्वार 2017

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,(एस.डी.ओ.)सिणधरी

(लोक अदालत केम्प–अटल सेवा केन्द्र आडेल)

पीठासीन अधिकारी–श्री नाथुसिंह राठौड़ ,आर.ए.एस

राजस्व आवेदन स.119/2017

प्रार्थीगण

1 सवाई पुत्र पतू

2 जोगा पुत्र पतू जाति वणाक निवासी सुथारों की बेरी आडेल तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1 देदाराम पुत्र गोमाराम

2 जूंजाराम पुत्र अमराराम

3 मूलाराम पुत्र अमराराम

4 रेखाराम पुत्र अमराराम

5 चूनी पत्नी अमराराम जाति जाट निवासी सुथारों की बेरी (आडेल) तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर।

6 तहसीलदार,सिणधरी।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

(वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1 श्री डालूराम चौधरी,अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

2 पेरोकार सरकार (नायब तहसीलदार सिणधरी) विप्रार्थी सं.6 की ओर से उपस्थित।

3. विप्रार्थी स.1 से 5 एकरतफा।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

आदेश

दिनांक– 11/5/17

1.संक्षेप मे आवेदन के तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम सुथारों की बेरी पटवार क्षेत्र आडेल तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 32/2 रकबा 4–10 बीधा व खसरा संख्या 32/3 रकबा 4–05 बीधा कुल रकबा 8–15 बीधा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

Scanned by CamScanner

को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को ...र पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा ग्राम सुथारों की बेरी ...टवार क्षेत्र आडेल तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 32/2 रकबा 4–10 बीधा व खसरा संख्या 32/3 रकबा 4–05 बीधा कुल रकबा 8–15 बीधा भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2.प्रार्थीगण के आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये राजस्व लोक अदालत में उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी किये गये। विप्रार्थीगण के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त हुई।विप्रार्थी सं. 1से 05 बावजुद नोटिस तामिल के हाजिर नही होने पर उनके विरूद एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई। विप्रार्थी सं.6 की ओर से जवाब पेश नही किया गया।

3.वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया,कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम सुथारों की बेरी पटवार क्षेत्र आडेल तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 32/2 रकबा 4–10 बीधा व खसरा. संख्या 32/3 रकबा 4–05 बीधा कुल रकबा 8–15 बीधा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मे आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि ग्राम सुथारों की बेरी पटवार क्षेत्र आडेल तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 32/2 रकबा 4–10 बीधा व खसरा संख्या 32/3 रकबा 4–05 बीधा कुल रकबा 8–15 बीधा भूमि की पक्की नेखमबन्दी के आदेश फरमावें जावे।

4 हमने वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,सलंग्न दस्तावेजात एवं विवादित भूमि की करवाई सीमाज्ञान रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य मे विवेचन किया गया। जिसमे पाया कि ग्राम सुथारों की बेरी पटवार क्षेत्र आडेल तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 32/2 रकबा 4–10 बीधा व खसरा संख्या 32/3 रकबा 4–05 बीधा कुल रकबा 8–15 बीधा भूमि के प्रार्थीगण रिकार्डेड सहखातेदार है,जो पत्रावली के सलंग्न विवादित भूमि संवत 2071 से 2074 से प्रमाणित होता है। तथा काश्त की सुविधा हेतु अपनी खातेदारी भूमि की

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

Scanned by CamScanner

न्दी करवाना चाहते है,विप्रार्थी स.1 से 5 बावजूद नोटिस तामील होने के हाजिर नही है;इससे प्रतीत होता है,कि विप्रार्थी स.1 से 5 को प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की खमबन्दी किये जाने मे कोई आपति नही होगीं। ऐसी सूरत मे उक्त भूमि की नेखमबन्दी किये जाने मे कोई आपति प्रतीत नही होती है।

5. **लिहाजा**,प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर **ग्राम सुथारों की बेरी पटवार क्षेत्र आडेल तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 32/2 रकबा 4—10 बीधा व खसरा संख्या 32/3 रकबा 4—05 बीधा कुल रकबा 8—15 बीधा** भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व मे जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 1500/प्रार्थीगण मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

11/5/12
(नाथूसिंह राठौड)
उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 11/5/12 को लिखवाया जाकर मजमे आम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

11/5/12
(नाथूसिंह राठौड)
उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

Scanned by CamScanner